FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

विनोद कुमार **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट, 88 आरटीए प्रकरण संख्या 365 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/ 521

मिल क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2025	प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र नारिया राम जाति नायक निवासी अनुपगढ तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3347 दिनांक 24.11.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 36/36 की प्रति, नारिया राम के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 11 पी, के तस्दीक प्रमाण पत्र की छायाप्रति, के के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 36/36 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम मोहरीराम पुत्र रतीराम के स्थान पर नारिया राम पुत्र रतीराम दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पूछताछ की गई जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि मोहरी राम व नारिया राम एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर व प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र लखपत राम, विनोद कुमार के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ. नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 36/36 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम मोहरीराम पुत्र रतीराम के स्थान पर मोहरीराम उर्फ नारिया राम पुत्र रतीराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी	

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

विनोद कुमार बनाम राजस्थान सरकार

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

प्रकरण संख्याः-365/2025

निर्णय दिनांक :- 28.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर व प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र लखपत राम, विनोद कुमार के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 36/36 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम मोहरीराम पुत्र रतीराम के स्थान पर मोहरीराम उर्फ नारिया राम पुत्र रतीराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 28.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/ 2025/877 दिनांकः 28.11.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)